

गिराज / मुंबई

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अलवर [ राज० ]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही	
11.6.18	<p>पत्रावली पेवा हुई। ससिस्ट रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील वर्क रजिस्टार की जावे। अपील के साथ संलग्न स्वयंसेवा प्रार्थना - फॉर एंड अग्रिम अपीलों को स्वयंसेवा सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करते हुए अपी. अग्रि. की ध्यान पर मनन करने से स्पष्ट होता है कि प्रकरण अंतरिम आदेश के विरुद्ध है एवं वर्ष 2018 का है। एसी स्थिति में प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही करने की सलाह दी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपरबन्ध अधिकारी धानधर को भी लेने पत्रों को पुनः ही प्रकरण का विस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाकर प्रकरण प्रतिशेषित (Rehnow) किया जाता है। पत्रावली में संलग्न प्रमाण लेबर, रजिस्टार से कम की जाकर बाद तकविलीन प्रमाण दायित्व प्रकरण की जावे।</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>	